श्री आदित्य कुमार दास,भा.प्र.से., जिलाधिकारी, जहानाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 13.10.2014 को आयोजित "जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों" की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही टिप्पणी :-

उपस्थिति : यथापंजी

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 13.10.2014 को जिलास्तरीय वरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा प्राथमिकता के आधार पर इस सप्ताह में निम्न कार्यों को निष्पादित करने के निदेश दिये गये :-

क्र	विभाग	दिये गये निदेश	अनुपालनकर्ता
1	सहकारिता	1. **पैक्स निर्वाचन** :- • सभी प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारियों के द्वारा अपने-अपने प्रखण्ड के लिए ब्रजगृह एवं मतगणना केन्द्र का निर्माण ससमय पूर्ण करवाना। • मोदनगंज/हुलासगंज/काको एवं घोसी के मतदान दिवस दिनांक 19.10.2014 के लिए प्रतिनियुक्त सभी जोनल दंडाधिकारी अपने-अपने आवंटित जोन में सघन पुलिस गश्ति कराते हुए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराना। • अनुमंडल पदाधिकार, जहानाबाद को निदेश दिया जाता है कि सभी प्रखण्डों से नामांकन रजिस्टर मंगाकर उसकी समीक्षा करना। • श्री अमीत कुमार, वरीय उप समाहर्ता, जहानाबाद को निदेश दिया गया कि दिनांक 19.10.2014 को होने वाले मतदान के लिए मतदान दल को सामान कहाँ से मिलेगा तथा कहाँ से वे अपने मतदान केन्द्र के लिए रवाना होंगे, इसकी विस्तृत आदेश निर्गत करना।	अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, जहानाबाद/ / अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, जहानाबाद / श्री अमीत कुमार, वरीय उप समाहर्ता, जहानाबाद/ सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी
2	डी.आर.डी.ए.	1.. SECC : अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद को निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, जहानाबाद जिला से प्राप्त सूची जिसमे वैसे लाभुकों का नाम हैं, जिन्हें पूर्व में राशन मिलता था, परन्तु वर्तमान के पूर्वीकताप्राप्त राशन कार्ड में नाम नहीं है, उसकी जाँच प्राप्त आपत्तियों में से करके समेकित प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे। 2. IAY : • उप विकास आयुक्त, जहानाबाद के द्वारा बताया गया कि कुल लक्ष्य 5928 के विरूद्ध अब तक 3724 लाभुकों का खाता खुल पाया है। निदेश दिया गया कि मोदनगंज एवं रतनी फरीदपुर प्रखण्ड का स्वयं भ्रमण कर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों का खाता खुलवाना सुनिश्चित करें तथा इसे इंट्री भी करायें। • वर्ष 2014-15 के इंदिरा आवास लाभार्थियों के सूची के चयन के संबंध में उप विकास आयुक्त, जहानाबाद को निदेशित किया गया कि इसमें अनु0जाति/जनजाति का एक भी परिवार नहीं छूटे, इसके लिए सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखण्डों के वरीय प्रभारी से यह प्रमाण-पत्र प्राप्त करें कि उनके प्रखण्ड में एक भी अनु.जाति/जनजाति के परिवार इंदिरा आवास से वंचित नहीं हैं। • इसके लिए जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, जहानाबाद से समाचार-पत्रों में इस आशय का प्रकाशन करायें कि वैस अनु0जाति जनजाति परिवार जिनको पूर्व में इंदिरा आवास नहीं मिला है तथा उनके पास पक्का मकान नहीं, सरकारी नौकरी नहीं है,वे अपना आवेदन प्रखण्ड कार्यालय में जमा करें। • भूमि सुधार उप समाहर्ता, जहानाबाद यह प्रमाण-पत्र देंगे कि किसी भी महादलित परिवार के पास वास हेतु जमीन उपलब्ध नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। • इंदिरा आवास लाभार्थियों का खाता (पति/पत्नी दोनों) खोलाया जाना सुनिश्चित करना। • आवास सॉफट पर इंट्री कराना। • वर्ष 2014-15 के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों की सूची तैयार कर उनका बैंक खाता संख्या प्राप्त कर सभी आवश्यक अभिलेख एकत्रित करने की कार्रवाई करना। यह कार्य एक सप्ताह के अंदर पूर्ण कराकर आवास सॉफट पर इंट्री कराना । इस कार्य को अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा पर्यवेक्षण किया जायेगा। सभी प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारी अपने	उप विकास आयुक्त, जहानाबाद/ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जहानाबाद/ अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी। जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, जहानाबाद। भूमि सुधार उप समाहर्ता, जहानाबाद।